

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1981/पौष 16, 1902
No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1981/PAUSA 16, 1902

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1981

का. आ. 12(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (ज) के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु-चार के संबंध में, कर्नाटक राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 अगस्त, 1981 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

**ससूची
पशु-खारे की किस्में**

- 1 रागी सूखी घास
- 2 चावल डंठल
- 3 कड़वी
- 4 मक्का की भूसी
- 5 ज्वार की भूसी
- 6 भूसी और चावल का भूसी
- 7 जने का भूसी
- 8 गेहूं चोकर
- 9 विस्मिलस चावल चोकर

[सं. 32-8/80-एन डी-2]

एन. राजागोपाल, सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1981

S.O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Karnataka in that state

2. This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st day of August, 1981

**SCHEDULE
Varieties of Cattle Fodder**

- 1 Ragi hay
- 2 Paddy straw
- 3 Kadabi
- 4 Maize hay
- 5 Jowar hay
- 6 Hay and Rice Husk
- 7 Gram Husk
- 8 Wheat Bran
- 9 Deoiled Rice bran

[No. 32-8/80-LD-II]

N. RAJAGOPAL, Lt. Secy.